[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।। खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 76/2021 - सीमा शुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सा.क.नि...........(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख की उपधारा (1) (एतदपश्चात् ''अधिनियम'' के रूप में संदर्भित), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए योजना (एतदपश्चात् ''योजना'' के रूप में संदर्भित), के तहत निर्यात किए गए माल के लिए क्रेडिट जारी करने का तरीका ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि विदेश व्यापार नीति (एतदपश्चात् ''एफटीपी'' के रूप में संदर्भित) के पैराग्राफ 4.01 (ङ) में निर्दिष्ट है, अधिसूचित करती है ।

2. ऐसा ड्यूटी क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, यथा: -

(1) कि ड्यूटी क्रेडिट जारी किया गया हो जब-

(क) निर्यातित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग की जानेवाली किसी भी सामग्री पर या भारत में ऐसे माल पर कोई प्रकिया करने के लिए, किसी भी शुल्क या कर या उगाही की छूट के बदले, जहां ऐसा शुल्क या कर या उगाही किसी अन्य योजना के तहत छोड़ा या जमा नहीं किया गया है;

(ख) एफटीपी के परिशिष्ट 4 आर (एतदपश्चात् ''परिशिष्ट'' के रूप में संदर्भित) में अधिसूचित माल के निर्यात के नामे, उक्त परिशिष्ट के तहत अधिसूचित संबंधित दर और उपरी सीमा पर;

बशर्ते कि योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट की गणना के लिए उक्त माल का मूल्य उसके घोषित निर्यात एफओबी मूल्य या उक्त माल के बाजार मूल्य के 1.5 गुना तक हो, जो भी कम हो;

(ग) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में मद स्तर पर एक निर्यातक द्वारा योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट के दावे के नामे उचित घोषणा प्रदान करके;

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किये गए, 1 जनवरी 2021 या उसके बाद के शिपिंग बिल या निर्यात के बिल के नामे, और जहां उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत निर्यात के लिए माल की निकासी और लदान की मंजूरी की अनुमति का आदेश दिया गया है;

(ड.) सीमा शुल्क द्वारा, आवश्यक जांच के पश्चात दावे की अनुमति दी गई है, जिसमें उचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन का आधार शामिल है, तथा निर्यात घोषणा पत्र या निर्यात रिपोर्ट दाखिल करने के बाद;

(च) ड्यूटी क्रेडिट, ई-स्क्रिप या इलेक्ट्रॉनिक डयूटी क्रेडिट लेजर के संबंध में जारी किए गए किसी भी नियम या विनियमनों के अनुसार;

(2) यह कि इस प्रकार का ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के प्रथम अनूसूची के तहत भारत में आयातित माल पर लगने वाले सीमा शुल्क ड्यूटी के भुगतान के लिए किया जाएगा;

(3) यह कि इसके साथ संलग्न तालिका -1 में सूचीबद्ध निर्यात श्रेणियां या क्षेत्र योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होंगे;

(4) यह कि परिशिष्ट् में अधिसूचित माल के निर्यात के नामे योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत भारत में ऐसे माल की बिक्री आय की प्राप्ति के लिए अनुमत अवधि के अधीन होगा, ऐसा न करने पर ड्यूटी क्रेडिट अपात्र समझा जाएगा;

(5) यह कि आयात और निर्यात बंदरगाहों, हवाई अड्डों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपों के माध्यम से या भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से किए जाते हैं जो सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर आयात बिल और शिपिंग बिल अथवा निर्यात के बिल को प्रस्तुत करने और संसाधित करने की अनुमति देते हैं;

(6) यह कि निर्यातक द्वारा पहले निर्यात किए गए माल के लिए बिक्री आय की प्राप्ति उक्त निर्यातक द्वारा हो चुकी हो, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमत अवधि या उक्त अवधि के किसी भी विस्तार सहित, समाप्त हो गई हो;

बशर्ते कि सीमा शुल्क द्वारा ड्यूटी क्रेडिट पहले किए गए माल के निर्यात के नामे, बिक्री आय के अप्राप्त हिस्से से संबंधित ड्यूटी क्रेडिट की अपात्र राशि को घटाकर बची हुई राशि जारी किया जाएगा;

बशर्ते कि प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क के पास जोखिम मूल्यांकन के आधार पर या जांच के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि निर्यात माल पर एक निर्यातक द्वारा किए गए ड्यूटी क्रेडिट का दावा वास्तविक नहीं हो सकता है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे निर्यातों की बिक्री आय की प्राप्ति के बाद ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति देने का निर्देश दे सकता है;

(7) नेपाल, भूटान और म्यांमार को निर्यात के लिए, योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति, भारतीय निर्यातकों के पक्ष में नेपाल, भूटान और म्यांमार में आयातकों द्वारा केवल ऐसे माल के

मूल्य के लिए स्थापित स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अपरिवर्तनीय लेटर ऑफ़ क्रेडिट के नामे बिक्री आय की वसूली पर दी जाएगी।

3. ड्यूटी क्रेडिट रद्द करना: (1) जहां कोई व्यक्ति अधिनियम या लागू समय में किसी अन्य कानून अथवा उसके तहत बनाए गए निर्यात के संबंध में, नियम या विनियम जो ड्यूटी क्रेडिट से संबंधित है या ई-स्क्रिप के संबंध में, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क के आयुक्त जिनका क्षेत्राधिकार ई-स्क्रिप का पंजीकरण के सीमा शुल्क स्टेशन पर हो, जांच के बाद उक्त ड्यूटी क्रेडिट या ई-स्क्रिप को रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है ।

(2) जहां ई-स्क्रिप को इस प्रकार रद्द किया जाता है, उक्त ई-स्क्रिप में ड्यूटी क्रेडिट राशि को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा और सीमा शुल्क के उचित अधिकारी ऐसी ई-स्क्रिप में उपयोग की गई या इस प्रकार हस्तांतरित ड्यूटी क्रेडिट राशि की वसूली की कार्यवाही करेंगे।

(3) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, उप-खंड(1) के तहत जांच के लंबित रहने के दौरान इस अधिनियम अथवा लागू समय में किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत किए जानेवाले कार्रवाई की पूर्वधारणा के बिना, उक्त ई-स्क्रिप या ऐसे निर्यातक के इलेक्ट्रोनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर या इस प्रकार के ई-स्क्रिप से हस्तांतरित किसी ड्यूटी क्रेडिट के प्रचालन को स्थगित कर सकते हैं ।

4. ड्यूटी क्रेडिट की राशि की वसूली: (1) जहां किसी भी कारण से निर्यातक के हक से अधिक ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति दी गई है, निर्यातक इस तरह की अनुमत अधिक राशि ब्याज सहित स्वयं या उचित अधिकारी द्वारा मांग पर, धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट के उस हिस्से पर, जिसका उपयोग या हस्तांतरण किया गया है, भुगतान करेगा और जहां निर्यातक, जैसा लागू हो, ब्याज सहित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, यह अधिनियम की धारा 142 में उपबंधित तरीके से वसूल की जाएगी ।

(2) उप-खंड (1) के तहत एक निर्यातक द्वारा इस प्रकार चुकाए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट राशि को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा, और यदि निर्यातक उक्त राशि को इस प्रकार मांगी गई ब्याज सहित पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर चुकाने में विफल रहता है, तो सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, निर्यातक के खिलाफ, किसी भी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, इस अधिनियम की धारा 142 में दिए गए तरीके से अंतरिती से उक्त ड्यूटी क्रेडिट राशि की वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं ।

5. ड्यूटी क्रेडिट की राशि की वसूली, जहां निर्यात आय प्राप्त नहीं की गई हो:- (1) जहां एक निर्यातक को ड्यूटी क्रेडिट की राशि की अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे निर्यात माल के संबंध में बिक्री आय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत अनुमत अवधि के भीतर भारत में निर्यातक द्वारा प्राप्त नहीं की गई है, निर्यातक, स्वयं या उचित अधिकारी द्वारा मांग पर, उक्त अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर उस धारा के प्रयोजनों के लिए, ब्याज के साथ ड्यूटी क्रेडिट की राशि चुकाएगा।

(2) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिक्री आय की प्राप्ति के लिए उक्त अवधि का कोई विस्तार दिया गया है और निर्यातक सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को इस तरह के विस्तार का प्रमाण प्रस्तुत करता है, और यदि उक्त बिक्री आय की प्राप्ति ऐसी विस्तारित अवधि में नहीं की जाती है, निर्यातक उक्त अवधि की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर उक्त ब्याज के साथ ड्यूटी क्रेडिट की उक्त राशि का भुगतान करेगा।

(3) ऐसे मामले जहाँ पूरी बिक्री आय प्राप्त नहीं हुई हो लेकिन बिक्री की आय का एक हिस्सा प्राप्त किया गया हो, तो वसूल किए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट की राशि अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि के उस हिस्से के बराबर होगी, जिसका अनुपात वही होगा जो अप्राप्त बिक्री आय का कुल बिक्री आय से होता है।

(4) जहां निर्यातक पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के भीतर ड्यूटी क्रेडिट राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, उक्त ड्यूटी क्रेडिट को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा और इसे उक्त ब्याज के साथ, जैसा कि अधिनियम की धारा 142 में दिया गया है, वसूल किया जाएगा।

(5) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, निर्यातक के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 142 में दिए गए तरीके से अंतरिती से उक्त ड्यूटी क्रेडिट राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकते हैं ।

6. किसी भी वसूली के लंबित रहने के दौरान, जैसा कि खंड 4 और 5 में प्रावधान किया गया है, ऐसे निर्यातक को किसी भी आगामी निर्यातों पर आगे ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसी वसूली नहीं हो जाती तथा निर्यातक एवं अंतरिती के पास कोई अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट ऐसी वसूली के लंबित रहने तक स्थगित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए-

(क) "दावा" का अर्थ है योजनाओं के तहत एक निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उक्त शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में आइटम स्तर पर उचित घोषणा प्रदान कर के ड्यूटी क्रेडिट का दावा;

(ख) "ड्यूटी क्रेडिट" का अर्थ है योजनाओं के तहत दावे के नामे सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर" का अर्थ है सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में लेजर जो उस व्यक्ति से संबंधित है जो ड्यूटी क्रेडिट प्राप्तकर्ता है या जिस व्यक्ति को ड्यूटी क्रेडिट स्थानांतरित किया गया है;

(घ) "ई-स्क्रिप" का अर्थ है, ड्यूटी क्रेडिट के लिए लेजर में बनाई गई स्क्रिप, जैसा कि अधिनियम की धारा 28ककक की व्याख्या 1 में उल्लेखित है;

(ड.) "निर्यात घोषणा पत्र" या "निर्यात रिपोर्ट" का अर्थ अधिनियम की धारा 41 में उल्लेखित है;

(च) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ है भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति;

(छ) "उचित अधिकारी" का अर्थ है सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त;

तालिका-1

क्र. स.	ड्यूटी क्रेडिट के लिए अपात्र निर्यात श्रेणियां या क्षेत्र
(1)	(2)
1.	माल, जो आईटीसी-एचएस में निर्यात नीति की अनुसूची -2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध हैं
2.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के अंतर्गत आनेवाले आयातित माल का निर्यात
3.	ट्रांस-शिपमेंट के माध्यम से निर्यात, जिसका अर्थ है ऐसे निर्यात जो तीसरे देश में उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन भारत के रास्ते ट्रांस-शिप किए गए हैं
4.	न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन माल
5.	विदेश व्यापार नीति के तहत डीम्ड निर्यात
6.	विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / जैव-प्रौद्योगिकी पार्क / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित किसी भी इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किया गया माल
7.	सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई के रूप में लाइसेंस प्राप्त इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किया गया माल
8.	प्रासंगिक विदेश व्यापार नीति के तहत जारी अग्रिम प्राधिकरण या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के तहत निर्यात किया गया माल
9.	घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्मित तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की इकाइयों को आपूर्ति किया गया माल
10.	विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र / निर्यात उन्मुख इकाई / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / जैव-प्रौद्योगिकी पार्क / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्मित और डीटीए इकाइयों के माध्यम से निर्यात किया गया माल
11.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के तहत एक भंडारण क्षेत्र में आंशिक या पूर्ण रूप से निर्मित माल
12.	अधिसूचना सं. 32/1997-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 1997 का लाभ उठाने वाले माल
13.	माल, जिसके लिए ड्यूटी क्रेडिट का दावा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में शिपिंग बिल या निर्यात बिल में दर्ज नहीं किया गया है
14.	माल जो विनिर्माण के बाद उपयोग में लिया गया है ।

[फा.संख्या सीबीआईसी-140605/12/2021-निदेशक (प्रतिअदायगी) का कार्यालय-सीबीईसी]

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक